भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

ब्राजील तथा अन्य अमरीकी देशों में जीका वायरस बीमारी के कारण हुई महामारी पर दिशा-निर्देश

पृष्ठभूमि

जीका वायरस रोग एक उभरता हुआ वाइरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से संचारित होता है| यही मच्छर डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसे संक्रमण संचारित करने के लिए भी जाना जाता है| पहली बार जीका वायरस का पता वर्ष 1947 में युगांडा में चला था|

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 22 देशों तथा अमरीकी देशों[1] की रिपोर्ट की है जहाँ जीका वायरस के स्थानीय संचारण की सूचना मिली है| नवजात शिशु में माइक्रोसीफेली तथा अन्य न्यूरोलोजिकल सिन्ड्रोम (गिलैन बारे सिन्ड्रोम) को अस्थायी रुप से जीका वाइस संक्रमण से जोड़ा गया है| फिर भी, माइक्रोसीफेली तथा गिलैन बारे सिन्ड्रोम जैसे न्यूरोलोजिकल सिन्ड्रोम के कई आनुवंशिक तथा अन्य कारण हैं|

मच्छर वेक्टर का व्यापक भौगोलिक वितरण, नए प्रभावित क्षेत्रों मे जनसंख्या के बीच प्रतिरक्षा की कमी तथा अत्याधिक अंतराष्ट्रीय यात्रा करना, जीका वायरस रोग को आगे अंतराष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना उत्पन्न कर सकता है| इस समय, भारत में इस रोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है| फिर भी, एडीस एगजेप्टी नामक मच्छर, जो जीका वायरस को संचारित करता है वही डेंगू वायरस को भी संचारित करता है जो कि भारत में व्यापक रुप से व्यापत है|

---

[1] जीका वायरस रोग की रिपोर्ट अब तक निम्नलिखित देशों में प्राप्त हुई है: ब्राजील, बारबाडोस, बोलीविया, कोलम्बिया, डोमिनिकन गणराज्य, एल साल्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, गुवडिलुपे, ग्वाटोमाला, गयाना, हैती, होंडुरस, मारटिनिक, मेक्सिको, पनामा, पैराग्वे, पोर्तो रिको, सेंट मार्टिन, सूरीनाम, वर्जिन आईलैंड तथा वेनेजुएला| यह नोट किया जाए कि यह सूची समय के अनुसार बदलते रहने के आसार हैं| अत:, अद्यतन सूचना को आवधिक रुप से चेक करना चाहिए|

जीका वायरस से पीड़ित अधिकांश रोगी या तो स्पर्शोन्मुख होते हैं या बुखार, रेश, कन्जंगक्टवाइटिस, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द के हल्के लक्षण (80% तक) दिखाते हैं| जीका वायरस संक्रमण तेज बुखार के आने, मोकूलो-पापूलर रेश तथा जोड़ों का दर्द, वे व्यक्ति जिन्होंने बुखार आने के दो सप्ताह पूर्व के दौरान, संचारित क्षेत्रों में यात्रा की हो का संदेह किया जा सकता है|

पूर्व में हूए प्रकोप से उपलब्ध सूचना के अनुसार, गंभीर रोग जिसमें अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, असामान्य है तथा मृत्युदर भी कम है| **वर्तमान में, जीका वायरस रोग को रोकने या उपचार करने के लिए कोई वेक्सीन या ड्रग उपलब्ध नहीं है|**
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को दिनांक 1 फरवरी, 2016 को सार्वजनिक स्वास्थ्य एमर्जेंसी का अंतरराष्ट्रीय चिन्तन (पीएचईआईसी) घोषित कर किया है|

मौजूदा रोग की प्रवृति तथा इसके प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम से इसके संभावित सम्बन्ध के प्रकाश में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित सलाह जारी करता है-

1. निगरानी में बढ़ोतरी

1.1 समुदाय आधारित निगरानी

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) अपने समुदाय तथा अस्पताल आधारित आंकडे एकत्र तंत्र के आधार पर तीव्र ज्वर बीमारी की क्लस्टरिंग को ट्रैक करेगा तथा प्राथमिक मामले, यदि कोई हो तो, जिन्होंने बुखार आने के दो सप्ताह पूर्व के दौरान संचारित क्षेत्रों में यात्रा किया हो, की तलाश करता है|
- आईडीएसपी अपने राज्य तथा जिला स्तर की इकाइयों को नवजात शिशुओं में माइक्रोसिफेली के मामलों की क्लस्टरिंग तथा रिपोर्ट की गई गिलैन बारे सिंड्रोम को देखने की सलाह देंगे|
- मातृ व शिशु स्वास्थ्य विभाग (एनएचएम के तहत) उनके फील्ड इकाइयों को नवजात शिशुओं में माइक्रोसिफेली के मामलों की क्लस्टरिंग को देखने की भी सलाह देंगे |

1.2 अंतरराष्ट्रीय हवाईपत्तन / पोतपत्तन

- सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईपत्तन/पोतपत्तन, यात्रियों को जीका वायरस रोग के विषय में सूचित करने के लिए बिलबोर्ड/साइनेज का डिस्पले करेंगे तथा यदि यात्री प्रभावित देशों से लौट रहें हैं तथा ज्वार बुखार से पीड़ित हैं तो आप्रवासन प्राधिकारियों को रिपार्ट करेंगे| अप्रवासन प्राधिकारियों की जीका वायरस बिमारी की जानकारी प्रदान की जाएगी|
- हवाई पत्तन/ पत्तन स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ/पीएचओ), निर्धारित हवाईपत्तनों के पास क्वारंटइन/पृथक्करण की सुविधा होनी चाहिए|
- नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय से सभी अंतरराष्ट्रीय वायुयानों को संस्तुत वायुयान विसंक्रमण मार्गदर्शन को पालन करने हेतु अनुपालन करने के लिए कहा जाएगा|
- एपीएचओ सभी अंतरराष्ट्रीय वायुयानों को वायुयान विसंक्रमण हेतु मार्गदर्शन परिचालित करेंगे तथा हवाईअड्डा परिसर तथा सीमांकित परिधि में एनवीबीडीसीपी की सहायता से उपयुक्त वेक्टर नियंत्रण उपायों को मॉनिटर करेंगे|

1.3 रैपिड रेस्पोन्स टीम

- रैपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी) को केन्द्र तथा राज्य निगरानी इकाइयों से सक्रिय किया जाएगा| प्रत्येक टीम में महामारीविद्/जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलोजिस्ट तथा मेडिकल/बाल चिकित्सा विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञों (कीटवैज्ञानिक आदि) शामिल होंगे जो तत्काल सूचना आधार पर संदिग्ध प्रकोप की जाँच करने हेतु यात्रा करेंगे|
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), दिल्ली देश में होने वाले प्रकोप की जाँच करने हेतु नोडल एजेन्सी होगी|

1.4 प्रयोगशाला रोग निदान

- एनसीडीसी, दिल्ली तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे, के पास तीव्र ज्वर स्तर पर जीका वायरस रोग का प्रयोगशाला निदान प्रदान करने की क्षमता है| ये दोनों संस्थान प्रकोप संबंधी जाँच में सहयोग देने तथा प्रयोगशाला निदान की पुष्टि करने हेतु शीर्षस्थ

प्रयोगशाला होंगे| 10 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला निदान के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए आईसीएमआर द्वारा मजबूत बनाया जाएगा|

- आरटी-पीसीआर परीक्षण, साधारण परीक्षण रहेगा| फिलहाल जीका वायरस रोग हेतु परीक्षण व्यावसायिक रुप से उपलब्ध नहीं है| सीरमविज्ञान परीक्षण की आवश्यकता नहीं है|

2. जोखिम संचार

- राज्य/ संघ राज्य प्रशासन आब्स्टैट्रिशन, पिडीयाट्रिशन तथा न्यूरोलोजिस्ट सहित क्लिनिशियन के बीच जीका वायरस रोग तथा उसका गर्भव्यवस्था के प्रतिकूल परिणाम (फिटल लोस, माइक्रोसिफेली, इत्यादि) सहित संभावित लिंक के विषय में जानकारी बढ़ाएगें| प्रभावित देशों में दो सप्ताह के पहले की गई यात्रा का ब्यौरा का नोट करने के लिए निगरानी में बढ़ोत्तरी करनी है|
- जनसाधारण को पुन: आश्वस्त किए जाने की जरुरत है कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है| केन्द्र/राज्य सरकार, तकनीकी संस्थानों, व्यावसायिकों तथा वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारों के साथ काम करके इस संक्रमण की चुनौती का समाना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे|

3. वेक्टर नियंत्रण

- उन्नत एकीकृत वेक्टर प्रबंधन करना होगा| डेंगू/डेंगू हेमरैजीक बुखार के बढ़ने से पहले उसपर नियंत्रण हेतु उपाय करना| एकीकृत वेक्टर नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन, वेक्टर निगरानी (वयस्क तथा लारवे दोनों के लिए), पर्यावरण परिवर्तन/हेरफेर के माध्यम से वेक्टर प्रबंधन, घरेलू, समुदायिक तथा संस्थागत स्तरों पर व्यक्तिगत रक्षण, बायोलोजिकल तथा रसायनिक नियंत्रण पर बल देगा| ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है|
- राज्य जहाँ वर्तमान में अनुकूल मौसम परिस्थिति के कारण डेंगू संचारित हो रहा है वहाँ ज्यादा सतर्कता रखनी होगी|

4. यात्रा एडवाइजरी

- प्रभावित देशों में अनावश्यक यात्रा को टाला/रद्द[1] किया जा सकता है|
- गर्भवती महिलाएं या महिलाएं जो गर्भवती होना चाहती है को प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने को टालना/रद्द करना चाहिए|
- प्रभावित देशों/ क्षेत्रों में /यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को, विशेषकर दिन में, मच्छर के काटने से बचने के लिए (मोस्किटो रिपेलेंट क्रिम, इलेक्ट्रानिक मोस्किटो रिपेलेंट, मच्छरदानी का प्रयोग, तथा शरीर के अधिकाधिक भाग को ढकने वाले कपडे पहन कर) व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय को सख्ती से पालन करना चाहिए|
- सहरुगणता परिस्थिति वाले व्यक्ति (मधुमेह, उच्चरक्तचाप, क्रोनिक सांस की बिमारी, इम्यून डिसोडर इत्यादि) को प्रभावित देशों में यात्रा करने के पूर्व अपने नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सलाह हेतु जाएं|
- प्रभावित देशों से लौटने के दो सप्ताह के भीतर तीव्र ज्वर से पीड़ित यात्रियों को नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रिपोर्ट करना चाहिए|
- गर्भवती महिलाएं जिन्होंने जीका वायरस संक्रमण क्षेत्रों की यात्रा करके आई हैं वे एंटी-नेटल विजिट के दौरान अपनी यात्रा के विषय में अवश्य बताएं ताकि उनको उपयुक्त रुप से जांच तथा मॉनिटरिंग की जा सके|

5. गैर सरकारी संगठन

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/राज्य स्वास्थ्य विभाग, जीका वायरस रोग के विषय में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सकों को जानकारी देने के लिए भारतीय/राज्य चिकित्सा संघ, व्यावसायिक निकाय जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ निकटता से काम करेगा।

---

[2]उपलब्ध प्रमाण के आधार पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यात्रा या व्यवसायिक प्रतिबंध की सिफारिश नहीं की है|

6. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली, जो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (आईएचआर) के लिए केंद्रीय स्थान है, प्रभावित देशों के आईएचआर केंद्रीय स्थानों से सूचना प्राप्त करेगा/उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान करेगा और विकसित हो रही महामारी के संबंध में अद्यतन जानकारियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संपर्क में रहेगा।

7. शोध

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद शोध प्राथमिकताओं की पहचान करेगी और उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

8. निगरानी

- महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के तहत संयुक्त निगरानी समूह द्वारा स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। उभरती हुई स्थिति की मांगों के अनुसार दिशा-निर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।